विवरणिका

2016-17

विद्यावानाः शोभन्ते मणिसदृशः

शासकीय वेदराम महाविद्यालय मालखरौदा

जिला : जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

PROSPECTUS

GOVT. VEDRAM COLLEGE, MALKHARODA

Dist : Janjgir-Champa (C.G.)

जनभागीदारी समिति

क्र.	नाम	पद
1.	श्री पुष्पेन्द्र चन्द्रा	अध्यक्ष, भडोरा
2.	अनुविभागीय अधिकारी (स) सक्ती	उपाध्यक्ष, सक्ती
3.	श्री रामनरेश साहू (सांसद प्रतिनिधि)	सदस्य, सिंघरा
4.	श्री गोपाल शर्मा (विधायक प्रतिनिधि)	सदस्य, पिहरीद
5.	श्रीराम सिदार	कृषक सदस्य, अमेराडीह
6.	श्री मयाराम चन्द्रा	दानदाता सदस्य, पिहरीद
7.	श्री पंचकुमार बंजारे	उद्योगपति सदस्य, सिंधरा
8.	श्री भोजराम साहू	नगरीय निकाय सदस्य, खेमड़ा
9.	श्री चक्रधर साहू	अभिभावक सदस्य, कलमी
10.	श्री साधूदास वैष्णव	सदस्य, मालखरौदा
11.	श्री शोहित साहू	सदस्य, कलमी
12.	श्री खिलेश्वर साहू	पूर्व छात्र सदस्य, बड़े सीपत
13.	श्री कवि वर्मा	पूर्व छात्र सदस्य, आमनदुला
14.	कु. रजनी पांडे	महिला सदस्य
15.	श्री अयोध्या धृतलहरे	अजा. सदस्य, मालखरौदा

From the Desk of Principal

Dear Students,

It gives me great pleasure to welcome you to the Govt. Vedram College, Malkharouda & I Congratulate you for deciding to persue your regular studies in our growing institution. This Government College, established & runned by the C.G. State Government , Higher Education Department and affiliated to the Bilaspur University, Bilaspur has the objective of providing higher education to all those who aspire for it. Our core values are ***'target focus', 'total quality for excellence', 'academic ethics', innovation & speed', 'mutual respect & trust', 'Pride on our institution & its family.***

The College is committed to excel in teaching training capacity building, scholarship, research, extension & public service. Our college values the appropriate use of information & communication technologies. Self instructional print materials ***(especially, reference & bibliography)****, audio & video programme, face to face counseling sessions, periodic assignments, home work, local, monthly, quarterly, half yearly & preannual tests & projects woks, constitute the* ***'teaching- learning methodology****. For ' laboratory & practical', 'intensive course' in science, professional & vocational courses, the good physical & infrastructural laboratory facilities are available in our institution.*

The College functions through its academic & teaching staff, ministerial staff, members of Janbhagidari samiti, regular students & its large network of alumni, spread all over the districts, Chhattisgarh state & the country. The college offers academic programmes ranging from UG level to P.G. Degree. These programmes cater to a wide range of learners from diverse background including urban convent educated to rural deprived classes at all levels.

The admission procedure starts from June 16 to July 31 every year depending on the availability of the seats decided by State Government, Higher Education Department & the University. Preparation of a common Admission prospectus for these programmes and launching of ***'college website'*** *are some of the new initiatives being undertaken by the College administration.*

This information & Admission Brochure will provide you the necessary information an nomenclature of the programmes, eligibility criteria, programme duration, fee structures etc. I hope you will find the brochure helpful in pursuing your studies in Govt. Vedram College, Malkharouda.

I wish you all success in studies.

(Dr. D.R. Lahre)
Principal
Govt. Vedram College Malkhrouda

महाविद्यालय का परिचय

शासकीय वेदराम महाविद्यालय मालखरौदा, जिला : जॉजगीर–चांपा से 55 कि.मी. की दूरी पर दक्षिण पूर्व दिशा में सक्ती रेल्वे स्टेशन से 20 कि.मी. पर दक्षिण दिशा में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्र पर स्थित है।

यह महाविद्यालय छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित तथा गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से संबद्ध हैं। महाविद्यालय में कला / विज्ञान स्नातक स्तर पर एवं समाजशास्त्र तथा हिन्दी साहित्य में स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन की व्यवस्था हैं।

महाविद्यालय की स्थापना सन् 1989 में आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत– तात्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री चित्रकांत जायसवाल जी म.प्र. शासन द्वारा एवं स्थानीय विधायक माननीय देवचरण मधुकर जी के अथक प्रयास से मालखरौदा में कला संकाय में स्नातक शासकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गयी थी। तब से लेकर आज तक यह महाविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। तथा निकट भविष्य में इसके विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के अधिनियम के तहत सेक्शन 2 एफ एवं 12 बी में पंजीकृत मान्यता प्राप्त तथा अनुदान प्राप्त संस्था हैं।

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस महाविद्यालय में जुलाई 2008 से विज्ञान संकाय की कक्षाएँ स्नातक स्तर पर प्रारंभ करने की स्वीकृति मिली और वर्तमान में स्नातक स्तर पर विज्ञान / गणित की कक्षाएँ संचालित है तथा जनभागीदारी समिति द्वारा संचालित समाज शास्त्र एवं हिन्दी साहित्य की स्नातकोत्तर की कक्षाए संचालित है। छ.ग. शासन के आदेशानुसार सन् 2015 से राजनीति शास्त्र में एम.ए. की कक्षा प्रारंभ की गयी है। विद्यार्थियों की शैक्षणिक, खेलकूद, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे अन्य सभी में बहुमुखी विकास के लिए इस महाविद्यालय में पर्याप्त अवसर दिये जाते हैं।

गुरूघासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत

महाविद्यालय में स्नातक स्तर में पढ़ाये जाने वाले विषय एवं संकाय

कला संकाय

बी.ए. –

अ. अनिवार्य विषय–

1. आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा
2. पर्यावरण अध्ययन

ब. ऐच्छिक विषय –

निम्नांकित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का अध्ययन करना है। विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तन संभावित है।

1. राजनीति शास्त्र
2. समाज शास्त्र
3. अर्थशास्त्र
4. भूगोल
5. हिन्दी साहित्य
6. अंग्रेजी साहित्य

टीप – बी.ए. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए प्रथम वर्ष के विषय ही लागू होंगे।

बी.एस.सी. प्रथम वर्ष

अ. अनिवार्य विषय –

1. आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा
2. पर्यावरण अध्ययन

ब. निम्नलिखित समुहों में से कोई एक समूह –

1. भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित।
2. रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र।

टीप : बी.एस.सी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए प्रथम वर्ष के विषय ही लागू होंगे।

महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषय एवं संकाय

कला संकाय

एम.ए. पूर्व
1. समाज शास्त्र
2. हिन्दी साहित्य
3. राजनीति शास्त्र

एम.ए. अंतिम
1. समाज शास्त्र
2. हिन्दी साहित्य
3. राजनीति शास्त्र

टीप : – 1. स्नातक कक्षा में संबंधित विषय लेकर उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर कक्षाओं के विषय एवं प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार ही महाविद्यालय में अध्यापन किया जायेगा।

विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत छात्र संख्या

महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर स्वीकृत छात्र संख्या

स्नातक स्तर

बी.ए.		बी.एस.सी.	
प्रथम वर्ष	190	विज्ञान	60
		गणित	15
द्वितीय वर्ष	तदैव	तदैव	
तृतीय वर्ष	तदैव	तदैव	

टीप : प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण विद्यार्थी द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश पात्र होंगे।

स्नातकोत्तर स्तर

	समाज शास्त्र	हिन्दी साहित्य	राजनीति शास्त्र
एम.ए. पूर्व	40	40	25
एम.ए. अंतिम	तदैव	तदैव	तदैव

टीप : एम.ए. पूर्व में उत्तीर्ण विद्यार्थी एम.ए. अंतिम वर्ष में प्रवेश पात्र होंगे।

ग्रंथालय विभाग

महाविद्यालय में एक समृद्ध ग्रंथालय है। वर्तमान में महाविद्यालय में 18558 पुस्तकें, जिसमें यू.जी.सी. बुक बैंक एवं सामान्य ग्रंथालय की पुस्तके उपलब्ध हैं। ग्रंथालय में विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं 3 शोध –पत्रिका मंगाये जाते है। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करने की बुक–बैंक योजना है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं संत्रात तक दो छात्रों के बीच एक सेट पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिन्हें परीक्षा उपरांत वापस लिया जाता है। सामान्य छात्र/छात्राओं को नियमानुसार ग्रंथालय से पुस्तकें प्रदान की जाती है।

1. महाविद्यालय में निर्धारित सुरक्षा निधि जमा करने पर प्रत्येक विद्यार्थी नियमानुसार ग्रंथालय का सदस्य बन जाता है।

2. पुस्तकालय में पुस्तकों का निर्गमन तथा वापस लेना ग्रंथालय के नियंत्रण में रहता हैं जिसके लिये उनके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। नियमोउलंघन करने पर छात्र दण्डित होंगे।

3. ग्रंथालय में विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं के पठन की सुविधा है।

4. ग्रंथालय में महाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं को 15 दिनों के लिये दो पुस्तक निर्गमित की जावेगी।

5. ग्रंथालय से ली गई पुस्तक आदि 15 दिनों के बाद न लौटाई गई तो प्रति पुस्तक प्रतिदिन 1/– रू. के हिसाब से अर्थदण्ड देय होगा। जिसका भुगतान शिक्षण शुल्क की किश्त के साथ अनिवार्य रूप से करना होगा।

स्वाध्यायी/भूतपूर्व विद्यार्थियों को प्रयोगशाला सुविधा

1. परिस्थिति एवं उपलब्ध साधनों के परिपेक्ष्य में प्राचार्य द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रवेश सत्रारंभ से ही निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार ही होगा।
2. प्रवेशार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 एवं अधिकतम 20 होगी, न्यूनतम संख्या से कम प्रवेशार्थी उपलब्ध होने पर कक्षा प्रारंभ नही होगी।
3. यद्यपि प्रवेशार्थी छः माह सत्र हेतु सत्रारंभ में ही प्रवेश लेगा किन्तु लोकहित एवं सामान्य नियमित छात्रों के हित में प्राचार्य स्वयं अध्ययन सत्र का निर्धारण करेंगे।
4. चयनित प्रवेशार्थियों का निम्नानुसार शुल्क एक किश्त में संपूर्ण रूप से पटाने पर ही प्रवेश माना जावेगा।

1.	प्रयोग शाला शुल्क	–	15 X 6	90 रू.
2.	टूट – फूट सामग्री शुल्क	–	10 X 6	60 रू.
3.	विकास शुल्क	–		25 रू.
4.	सुरक्षा निधि	–		100 रू.
			कुल रूपये	275 रू.

नोट : 1. शासन द्वारा समय–समय पर परिवर्तित नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. विश्वविद्यालय के पत्र कमांक 1322/अंक/पात्रता/प्रवेश 03 दिनांक 06.06.03 एवं पत्र कमांक 1674 बिलासपुर दिनांक 11.'07.03 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को किसी भी कक्षा में प्रवेश देने के पूर्व विश्वविद्यालय से पहले पात्रता प्रमाण –पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। महाविद्यालय में पात्रता प्रमाण–पत्र के अभाव में नियमानुसार प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य स्थित सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिये पात्रता प्रमाण पत्र की आश्यकता नहीं होगी।

राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद विभाग छ.ग. सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह योजना विश्वविद्यालय के माध्यम से महाविद्यालयीन में छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास एवं चरित्र के विकास तथा उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के उन्नयन के लिये संचालित की जाती है। मालखरौदा महाविद्यालय में सत्र 1989 से यह योजना लागू है। वर्तमान में आबंटित छात्र संख्या 100 है। प्रवेश योग्यतानुसार दिया जावेगा। कार्यक्रम अधिकारी की अनुशंसा पर रासेयो सलाहकार समिति व प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना संबंधि विस्तृत जानकारी के लिए कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें।

महाविद्यालय संबंधी अन्य जानकारियॉ

शुल्क मुक्ति एवं अन्य सुविधाएं–

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अन्य नियमों के अनुसार छात्रों की शुल्क आदि में निम्नलिखित सुविधाएं भी दी जाती है, जिसे नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में भी लागू किया गया है–

1. कृषक के पुत्र/पुत्रियों को सुविधा –

निम्न आय वाले कृषक के पुत्र/पुत्री को अध्ययन शुल्क में एक तिहाई तक छूट दी जाती है, यह सुविधा केवल उन्हीं कृषकों के पुत्र/पुत्रियों को उपलब्ध हो सकती है जो 500/– से अधिक मालगुजारी न देते हों। ऐसी सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र अपना आवेदन पत्र निम्नांकित प्रमाण पत्रों के साथ प्राचार्य के पास प्रस्तुत करें–

1. विद्यार्थी के पिता को खेती द्वारा आमदनी का शपथनामा।
2. महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र पूर्ण कर तथा तहसीलदार से प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करें।

2. भातृ/भगिनी सुविधा –

यदि महाविद्यालय में दो से अधिक भाई/बहिन नियमित विद्यार्थी हो तो बड़े को पूर्ण शुल्क देना होगा। इसके लिये छात्र प्रवेश के तुरंत बाद आवेदन करें।

3. शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिये सुविधा –

अ. शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों की सुविधा/चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों तथा चतुर्थ वर्ग के मृत कर्मचारियों के बच्चों का शिक्षण शुल्क स्नातक स्तर तक माफ रहेगा। माता–पिता का सेवा प्रमाण–पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।

ब. शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा तक वेतन प्राप्त करने वाले द्वतीय श्रेणी रापत्रित अधिकारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क से मुक्ति मिलती है।

1. ऐसे छात्रों को निर्धारित प्रपत्र भरकर अपने माता/पिता के विभागीय प्रमुख के प्रमाण–पत्र के साथ प्रवेश के समय प्रस्तुत करना चाहिये।
2. यह सुविधा किसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को नहीं मिलती परंतु उत्तीर्ण हो जाने पर दूसरी कक्षा में पुनः प्राप्त हो सकती है।
3. सदाचार, नियमित उपस्थित एवं संतोषजनक प्रगति के आधार पर ही सुविधा चालू रहेगी। हड़ताल एवं अन्य विध्वसक कार्यों में भाग लेने वाले छात्रों से यह सुविधा वापस ले ली जावेगी।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये आचरण/ संहिता

सामान्य नियम -

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठयेत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली–गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असामाजिक या अपराधिक गतिविधियों से संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. **महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।**

अध्ययन संबंधी नियम–

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रत नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालयों में पंखों, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि को तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम –

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र –

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2007 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जावेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत जानकारी प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन–पत्र में उसके पालक अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

प्रवेश तिथि

छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र–छात्रा को प्रवेश समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश समिति द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता, प्रावीण्यता तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन कर तथा प्राचार्य की स्वीकृति मिल जाने पर छात्र/छात्रा को प्रवेश मिल सकेगा। प्रवेश की स्वीकृति मिलते ही छात्र/छात्रा को निर्धारित समयावधि में प्रवेश शुल्क पटाना होगा।

प्रवेश पात्रता

विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार महाविद्यालय में निम्नलिखित योग्यता वाले छात्र/छात्रा प्रवेश पा सकेंगे।

1. बी.ए.,बी.एस–सी भाग–1

माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर (छ.ग.) या किसी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 12 वीं उत्तीर्ण हो या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

2. ***बी.ए., बी.एस-सी. भाग-2***
   - क. बी.ए., बी.एस.-सी भाग-एक परीक्षा उत्तीर्ण हो, या
   - ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
3. ***बी.ए., बी.एस-सी. भाग-3***
   - क. विश्वविद्यालय की बी.ए., एवं बी.एस.-सी भाग 2 परीक्षा उत्तीर्ण हो, या
   - ख. समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
4. ***एम.ए. पूर्व***
   - क. विश्वविद्यालय की बी.ए. भाग-3 परीक्षा उत्तीर्ण हो, या
   - ख. समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
5. ***एम.ए. अंतिम***
   - क. विश्वविद्यालय की एम.ए. पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण हो, या
   - ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

<u>प्रवेश नियम</u> (Admission Rules)

1. महाविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्र/छात्रा को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर देना होगा। आवेदन-पत्र छात्र एवं पालक के हस्ताक्षर से जमा करना अनिवार्य है।
2. आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
   1. मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (Transfer Certificate - Original)
   2. अंकसूची की अभिप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि।
   3. नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र (Character Certificate)

      नियमित छात्रां को पूर्व संस्था के प्राचार्य के द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वाध्यायी छात्रों के लिए किन्हीं दो उत्तरदायी नागरिकों से चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति ही संलग्न करें।
   4. प्रव्रजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate)

      मूल प्रति गुरूघासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर परिसीमा के बाहर से आये छात्रों के लिए।
   5. अंतिम परीक्षा के प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   6. पासपोर्ट आकार के दो फोटो।

7. जाति प्रमाण–पत्र केवल अनु.जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए किसी राजस्व अधिकारी या तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।
8. जन्मतिथि प्रमाण –पत्र इसके लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण–पत्र अंकित तिथि मान्य होगी।

परिचय–पत्र (Identy Card)

1. परिचय–पत्र महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के लिये अनिवार्य है। महाविद्यालय में प्रवेश करते समय चेक पोस्ट में प्रत्येक छात्र/छात्रा को परिचय–पत्र दिखाना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय में प्रवेश लेते समय आवेदन–पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर कार्यालय में देना आवश्यक होगा, ताकि प्रवेश पत्र के साथ परिचय पत्र भी प्राप्त हो सके।
3. परिचय पत्र को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखना प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है।
4. महाविद्यालय में प्रवेश करते समय, प्रत्येक समारोह एवं उत्सव में सम्मिलित होते समय परिचय पत्र साथ रखना होगा।
5. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा परिचय पत्र की मांग करने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. परिचय पत्र हस्तांतरण योग्य नहीं है। छात्र को यह निर्देश बाध्यकारी होगा, अन्यथा छात्र दण्ड का अधिकारी होगा।
7. परिचय–पत्र खो जाने पर 15/– रूपये शुल्क तथा दो प्रतियां पासपोर्ट फोटो जमा कर पुनः प्राप्त किया जा सकेगा, परन्तु नया परिचय–पत्र, शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

शुल्क विनियम :

1. एक बार कोई शुल्क पट जाने के बाद वह किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा।
2. एक बार किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र का सभी शुल्क पटाना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले एवं महाविद्यालय छोड़ दें।
3. संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद किसी प्रकार की राशि वापस नहीं की जायेगी।
4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप सुरक्षित रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकारकी अन्य धन राशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्र या व्यक्ति के द्वारा जमा की जाये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए। अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगी।
5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालयीन शुल्क भी जमा करना होगा।

संस्था छोड़ने हेतु नियम :

यदि कोई छात्र मध्य सत्र में संस्था त्यागने और दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा करता है तो उसे विश्वविद्यालय अधिनियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करनी होगी।

अ. संस्था त्यागने के उद्देश्य की लिखित सूचना करनी होगी।

ब. समस्त शुल्कों को जमा करना होगा।

स. उक्त संपूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क उसे महाविद्यालय को देना पड़ेगा।

द. महाविद्यालय से प्राप्त अन्य सहायता, निःशुल्क शिक्षा या छात्रंवृत्ति आदि की राशि लौटानी होगी।

च. निःशेष प्रमाण–पत्र (No Dues Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

छ. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र या आचरण प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति चाहने वाले छात्रों को 10/– चालान द्वारा बैंक में जमा कर चालान की प्रति जमा करनी होगी तथा पुलिस थाने में रिपोर्ट की प्रति जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

ज. अवधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने पर टी.सी. लेते समय ही होगी बशर्ते अपनी रसीद प्रस्तुत करें। अवधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के छः माह बाद नहीं की जायेगी।

विश्वविद्यालय नामांकन

(नवीन छात्र/छात्राओं हेतु अनिवार्य)

1. विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु समय पर आवश्यक आवेदन पत्र भर कर नामांकन करा लेने का उत्तरदायित्व छात्र/ छात्रा का होगा। प्रवेश के बाद नामांकन फार्म महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में भरना होगा। निर्धारित अवधि में नामांकन फार्म जमा नहीं करने पर स्वयं छात्र/छात्राएं जिम्मेदार होंगे।
2. अन्य प्रदेश के बोर्ड परीक्षा/ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश/पंजीयन से पूर्व विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/ अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2016 – 17

1. प्रयुक्ति

1.1 यह मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत् अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश" से आशय स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष /पूर्व में प्रवेश से है।

2. प्रवेश की तिथि

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किय जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में समक्ष होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1(क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। इसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब यह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत् थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुर्नमूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

2.4 पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि-

पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी। अन्य कक्षाओं में 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से अस्थायी प्रवेश देने हेतु प्राचार्य सक्षम होंगे तथा पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के नियमित प्रवेश के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय में पूरक परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन जो भी पहले हो, मान्य होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टॉफ की उपलब्धता आदि के आधार पर प्राचार्य विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्र संख्या का निर्धारण करेंगे। प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि समाप्ति के बाद 15 दिनों के भीतर प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं की कक्षा/ विषयवार संख्या का शासन से अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं की संख्या महाविद्यालय में निर्धारित सीटों की संख्या से अधिक न हो।

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालय में उन्हीं निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण–पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण–पत्रों से मिलाकर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर, अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट की सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा

क. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/ पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

ख. सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश

क. 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एच.एस. सी. प्रथम वर्ष से किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातक स्तर पर प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर, नियमित प्रवेश–

क. बी.कॉम./बी.एच.एस.सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम./एम.एच. एस–सी./एम.ए. पूर्व एवं आवेदित विषय लेकर, बी.एस–सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस–सी/एम. ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उततीर्ण आवेदकों को उसी विषय में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश

क. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. एल.एल.बी प्रथम/द्वितीय एवं एल.एल.एम. पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एल.एल.बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा

क. विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40 प्रतिशत तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता; वहां 45 प्रतिशत होगी।एल.एल.एम. पूर्वार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त आवेदकों ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. <u>समकक्ष परीक्षा</u>

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन (सीबी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई. सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/ इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षायें माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते है।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन फॉर युनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। उस्मानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय जैसे बी.ए./बी.कॉम. डायरेक्ट वन सीटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं है।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थानों की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस–सी./बी.एच.एस–सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की परीक्षा/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावें।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेशलेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीक में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में प्रवेशित होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़–फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 क. स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। परन्तु आयु सीमा के बंधन में छात्राओं को 3 वर्ष की छूट रहेगी।

ख. आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रयोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट शीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

ग. विधि संकाय में त्रिवर्षीय पाठ्यकम प्रवेश हेतु भी आयु सीमा का बंधन नहीं होगा।

घ. संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

ड. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछड़े वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों /महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता को अनापत्ति–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारण

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा।

क. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा

ख. विधि स्नातक प्रथम वर्ष में संम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुकम की सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर /विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/ भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के कमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के कमानुसार रहेगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48% एग्रीगेट करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों में लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय के स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगाः–

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के क्रमशः 15% तथा 18% स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। प्रवेश की अंतिम तिथि पर 5 बजे के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. से भरी जावेगी। इस हेतु प्राचार्य एक पांच सदस्यीय समिति गठित करेंगे जिसमें एक जनभागीदारी के सदस्य रहेंगे। समिति अ.जा. एवं अ.ज.जा. के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. से गुणानुकम में भर कर सूची को सूचना पटल पर चस्पा करेंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14% स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3% स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों के प्राप्तांकों को 10% अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30% स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटिशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्र/छात्राएं उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के लिए उपलब्ध रहेंगे।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

13. अधिभार

अधिभार मात्र गुणानकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लगाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

क.	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
ख.	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''बी'' सटिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
ग.	''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
घ.	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
च.	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी	05 प्रतिशत
छ.	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
ज.	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
झ.	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
य.	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	15 प्रतिशत
र.	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिये चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत

13.2	आनर्स विषय पाठ्यकम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत
13.3	स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर	05 प्रतिशत

13.4 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक /क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं

1. लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/ क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –

क.	प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
ख.	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत

2. उपर्युक्त कंडिका 13.4(1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में

क.	प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
ख.	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिश्त
ग.	संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत

3. भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में –

क.	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
ख.	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
ग.	क्षेत्र का प्रतिनिधत्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत

13.5	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य् यूथ अथवा साईंस एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत

13.6 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

क.	छ.ग./म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को	10 प्रतिशत
ख.	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत

13.7	जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को	01 प्रतिशत

13.8 विशेष प्रोत्साहन

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियांड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :–

1. इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
2. यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5% घटाकर उनका गुणाक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणनुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. शोध छात्र

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच-डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकरी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन-पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष

16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर, छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/ संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

यूथ रेडक्रास सोसायटी

यूथ रेडक्रास सोसायटी इण्डियन सोसायटी की एक शाखा है। 18 वर्ष से 35 वर्ष तक आयु के नियमित छात्र–छात्राएं एवं महाविद्यालय के प्राध्यापक इसके सदस्य हो सकते हैं। इस महाविद्यालय में यूथ रेडक्रास यूनिट, इंडियन रेडक्रास सोसायटी छत्तीसगढ़ राज्य शाखा से पंजीकृत है। इस यूनिट का पंजीयन क्र. 06 जां.–चां./03 हैं। प्रत्येक छात्र–छात्राओं के लिए यूथ रेडक्रास का वार्षिक सदस्यता शुल्क 5/– है। जिलाध्यक्ष और मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी के परामर्श एवं मार्गदर्शन में यूथ रेडक्रास यूनिट द्वारा जन स्वास्थ्य तथा सेवा के क्षेत्र में कार्य किये जायेंगे।

जन स्वास्थ्य, गंदी बस्तियों की साफ–सफाई, रोगी कल्याण एवं असहायों की सेवा, पर्यावरण संरक्षण–संवर्धन तथा प्रदूषण निवारण, प्राकृतिक आपदा और दुर्घटना आदि के कारण निर्मित आपतिक स्थितियों के लिए तात्कालिक सहायता यूथ रेडक्रास के सदस्यों के कर्त्तव्य हैं। साथ ही मानव मूल्यों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मानवतावादी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए विश्व भातृत्व की भावना को बढ़ान के लिए कार्य करना यूथ रेडक्रास का महत्वपूर्ण कार्य हैं।

यूथ रेडक्रास यूनिट महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास, उनमें स्वप्रेरित सेवाभाव जागृत करने, रोगियों, पीड़ितों, अशक्त तथा असहायों के प्रति संवेदन –शीलता बढ़ाने, कार्यशालाओं का आयोजन करने तथा विश्व भातृत्व की भावना जागृत करने हेतु कार्य करती है।

खेलकूद

खेल जन्म से मृत्यु पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। खेल मनोरंजन के साथ–साथ संपूर्ण व्यक्ति का विकास करता है। खेल से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्ष मजबूत होता है। शरीरिक उपलब्धि के रूप में खेल से पुष्ट शरीर बनता है, जिसमें उल्लास, एकाग्रता एवं आत्मिक शक्ति बढ़ती है। आर्थिक उपलब्धि के रूप में हमने अपने खेल के श्रम का पुरस्कार पाते है। सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में हम सामाजिक जीवन बोध, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं संगठन जैस बहुमल्य मानव मूल्यों में स्वामी बनते है।

इस महाविद्यालय का खेलकूद के क्षेत्र में विशेष स्थान है, महाविद्यालय में प्रशिक्षित कीड़ा अधिकारी के कुशल निर्देशन में विभिन्न खेलों की सुविधा उपलब्ध है जिनमें प्रमुख रूप से फुटबाल, व्हॉलीबाल, किकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, खो–खो, एथलेटिक्स, शतरंज, टेबल टेनिस इत्यादि खेल शैक्षणिक सत्र में सम्पन्न कराये जाते हैं। छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार संपूर्ण शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित होता है।

"The weaker the body, the more it commands, The stronger it is better it obeys."

शुल्क विवरण FEE DETAILS

शुल्क	स्नातक		स्नातकोत्तर
	बी.ए.	बी.एस.सी.	कला
शासकीय			
शिक्षण शुल्क	115.00	135.00	144.00
प्रयोग शाला शुल्क	—	20.00	—
प्रवेश शुल्क	3.00	3.00	3.00
लेखन सामग्री	2.00	2.00	2.00
	120.00	160.00	149.00
अशासकीय			
पत्रिका शुल्क	50.00	50.00	50.00
निर्धन छात्र कल्याण निधि	10.00	10.00	10.00
महाविद्यालय विकास	100.00	100.00	100.00
सम्मिलित निधि	32.00	32.00	32.00
सोसल गेदरिंग	40.00	40.00	40.00
शारीरिक कल्याण	150.00	150.00	150.00
छात्रसंघ प्रवेश	30.00	30.00	30.00
परिचय पत्र	20.00	20.00	20.00
सायकल स्टैण्ड	100.00	100.00	100.00
वि.वि. युवा गतिविधि शुल्क	1.00	1.00	1.00
वि.वि. पुस्तकालय शुल्क	20.00	20.00	20.00
सामान्य छात्र कल्याण निधि	30.00	30.00	30.00
चिकित्सा	5.00	5.00	5.00
छात्र संघ (विश्वविद्यालय)	2.00	2.00	2.00
रेडक्रास	5.00	5.00	5.00
महाविद्यालय आंतरिक परीक्षा शुल्क	50.00	50.00	50.00
जनभागीदारी शुल्क	200.00	200.00	1500.00
छात्र सुरक्षा बीमा शुल्क	10.00	10.00	10.00
नामांकन शुल्क	100.00	100.00	—
आवधान राशि	60.00	60.00	100.00
योग –	**1006.00**	**1006.00**	**2255.00**

नोट – 1. नये प्रवेश हेतु (प्रथम वर्ष या अन्य विश्वविद्यालय से प्रवेश)

2. शासन के निर्देशानुसार छात्राओं को शिक्षण शुल्क से मुक्त रखा गया है।

3. अनु.जाति/जनजाति के छात्रों को शिक्षण शुल्क से मुक्त रखा गया है।

स्ववित्तीय पाठ्यक्रम
SELF FINANCE COURSE

महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति के प्रस्ताव एवं छ.ग. शासन की अनुमति से स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं–

क्र.	पाठ्यकम का नाम	अवधि	स्थानों की संख्या	पाठ्यकम शुल्क
1.	एम.ए. समाजशास्त्र	2 वर्ष	40	1500/–
2.	एम.ए. हिन्दी साहित्य	2 वर्ष	40	1500/–
3.	राजनीति शास्त्र	2 वर्ष	25	1500/–

छत्तीसगढ़ शासन की छात्रवृत्तियां

क.	छात्रवृत्ति–	अवधि	आधार	विशेष
1.	प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के बच्चों के लिये छात्रवृत्तियों	03 वर्ष	1. मा.शि.मंडल छ.ग. की 12 वीं की परीक्षा 60% अंक से अधिक अंक प्राप्त करने पर। 2. माता–पिता की आर्थिक आय 25000/–तक	
2.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियॉं	03 वर्ष	1. मा.शि.मडल छ.ग. की 12 वीं की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो। 2. माता–पिता/पालक की वार्षिक आय 25000/– तक हो।	
3.	राज्य शासन की एकीकृत छात्रवृत्तियॉं –			
	1. स्नातकोत्तर योग्यता	20 माह	1. उपाधि परीक्षाओं में कम से कम 55% अंक प्राप्त किये हों।	
	2 स्नातक योग्यता सह–साधक शिष्यावृत्ति	20 माह	1. उपाधि परीक्षाओं में कम से कम 55% अंक प्राप्त किये हों। 2. अभिभावक की आय– 24000/– वार्षिक से अधिक न हो।	
	3. स्नातक योग्यता छात्रवृत्ति	30 माह	1. मा.शि. मंडल छ.ग. की 12 वीं की परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त किये हो।	
	4. स्नातक योग्यता सह–साधक	30 माह	1. मा.शि. मंडल छ.ग. की 12वीं की परीक्षा में कम से कम 55% अंक प्राप्त किये हो।	
	5. खेलकूद छात्रवृत्तियॉं	10 माह	यह छात्रवृत्ति उनके लिये हैं जो छ.ग. की स्कूल टीम में राष्ट्रीय खेल दल में रहे हों या जो प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में पहले तीन स्थानों में से किसी पर रहें हो।	
	6. अपंग/विकलांग छात्रवृत्ति	10 माह	1. पूर्व परीक्षा में कम से कम 40 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो। माता/पिता/अभिभावक की आय रू. 24000/– वार्षिक से अधिक न हो।	
	7. निर्धन छात्रवृत्ति	10 माह	1. पूर्व परीक्षा में कम से कम 40 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो। माता/पिता/अभिभावक की आय रू. 64000/– वार्षिक से अधिक न हो।	

टीपः इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को आदिम जाति कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति दी जाती है।

1. संपूर्ण छात्रवृत्तियों के लिये छात्र महाविद्यालयीन सूचनाओं की ओर ध्यान दें तथा कार्यालय से संपर्क बनाये रखें। आवेदन–पत्र के प्रारूप कार्यालय से प्राप्त होंगे।
2. छात्रवृत्तियों के निर्धारित प्रपत्रों में आवश्यक प्रविष्टियॉं पूर्ण कर अपने आवेदन–पत्र निश्चित तिथि तक कार्यालय में जमा कर दें। निश्चित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करना संभव नहीं हो सकेगा।

संस्था के सदस्य

अधिकारीगण

क.	नाम	पदनाम	विषय
1.	डॉ. डी.आर. लहरे	प्राचार्य	राजनीति शास्त्र
2.	प्रो. एस.एल. सोनवानी	सहा. प्राध्यापक	समाज शास्त्र
3.	प्रो. बी. कुर्रे	सहा. प्राध्यापक	हिन्दी
4.	प्रो. एस.के. मिश्रा	सहा. प्राध्यापक	अंग्रेजी
5.	प्रो. श्रीमती उमानंदनी जायसवाल	सहा. प्राध्यापक	अर्थशास्त्र

कर्मचारीगण

1.	सी.के. साहू	सहा. ग्रेड–3
2.	ए.के. तिवारी	सहा. ग्रेड–3
3.	सोमेश कुमार धितोड़े	प्रयोग शाला तकनीशियन
4.	एन.एल. श्रीवास	प्रयोगशाला तकनीशियन
5.	एस.के. पोर्ते	प्रयोगशाला तकनीशियन
6.	बृजभान सिंह कवंर	प्रयोगशाला परिचारक
7.	कु. दीपेश्वरी साहू	प्रयोगशाला परिचारक
8.	बाबूलाल सिदार	बुक लिफ्टर
9.	शंकर लाल यादव	भृत्य
10.	शंकर लाल यादव	भृत्य
11.	संतोष कुमार यादव	चौकीदार
12.	दाताराम सतरंज	स्वीपर

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय वेदराम महाविद्यालय, मालखरौदा
जिला : जांजगीर – चाम्पा (छ.ग.)

क्र.	संस्था नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी (धारा–5)	अपीलीय अधिकारी (धारा–19)
1.	शासकीय महाविद्यालय मालखरौदा	वरिष्ठ प्राध्यापक	प्राचार्य	अग्रणी महाविद्यालय, जांजगीर

इस कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू है।

1.	अभिलेख प्रस्तुत करने का दिन/समय	सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन कार्यालयीन समय में।
2.	सूचना प्राप्त हेतु आवेदन	आवेदन--पत्र दस रूपये शुल्क नगद समुचित रसीद सहित अथवा चालान की प्रति द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम से देय हो, मुख्य शीर्ष 0070 उप मुख्य शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियों के नाम जमा करना होगा।
3.	सूचना उपलब्ध कराने का शुल्क	निम्नानुसार मूल्य नगद समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के मुख्य शीर्ष 0070, उपमुख्य शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियों में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम से देय हो जमा करना होगा। (क) प्रत्येक ए–4 आकार या ए–3 आकार के कागज के लिए दो रूपये प्रत्येक पृष्ठ अतिरिक्त शुल्क देना होगा। (ख) बड़े आकार के कागज पर प्रति का वास्तविक मूल्य या लागत मूल्य। (ग) नमूना अथवा मॉडल के लिए वास्तविक मूल्य या लागत मूल्य का 50% (घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घण्टे के लिए और उसके पश्चात् के प्रत्येक 15 मिनट (या उसके भाग) के 5/– रूपये का शुल्क। (ड) सी.डी. या फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए पचास रूपये प्रति सी.डी./फ्लापी एवं मुद्रित फार्म में सूचना के लिए नियत कीमत।
4.	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त करने के अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी
5.	आवेदन प्रस्तुत करने के 30 दिनो के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होने पर	अपीलीय अधिकारी

APPLICATION FORM ADMISSION 2016-2017

प्रवेश आवेदन पत्र

प्रत्येक पाठ्यक्रम / कक्षा हेतु पृथक – पृथक आवेदन जमा करना होगा।
Application form of one course of study shall not be transferred for another course of study.

शासकीय वेदराम महाविद्यालय, मालखरौदा (छ.ग.)

GOVERNMENT VEDRAM COLLEGE, MALKHARODA (C.G.)

सामान्य Gen.	अ.जा. S.C.	अ.ज.जा. S.T.	अ.पि.व. O.B.C.	विकलांग P.H.	स्व.सं.से. F.F.	अल्प Minority

पिछली उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण

	10 वीं	12 वीं	स्नातक			स्नातकोत्तर
			प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	
उत्तीर्ण वर्ष						
प्राप्तांक / पूर्णांक						

टीप– विद्यार्थी प्रवेश आवेदन फार्म को स्पष्ट एवं सुवाच्य अक्षरों में प्रत्येक कॉलम को अनिवार्य रूप से भर कर जमा करें।

S.No. 1236

जेण्डर
पुरूष ....
महिला ....
अन्य ....

पासपोर्ट साईज फोटो

1. पाठ्यक्रम / कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए
Application for Admission to ....

2. आवेदक द्वारा लिये जाने वाले विषयों के नाम
(Subject offered by the candidate)
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

3. आवेदक का नाम
(Name of the Candidate) ....

4. जन्मतिथि
(Date of Birth) ....

5.(1) ब्लड ग्रुप (Blood Group) ....

(2) ई–मेल का पता ....

6. पिता का नाम
(Father's Name) ....

7. माता का नाम (Mother's Name) ....

8. वर्तमान पता दूरभाष सहित ....

(Mailing Address with telephone No.) .... दूरभाष ....

9. स्थायी पता, पिनकोड व दूरभाष सहित ....

(Permanent Address with telephone No. ....

.... दूरभाष ....

11. उस व्यक्ति का नाम एवं पता जिससे आपात परिस्थिति में संपर्क किया जा सके ....

(Person /Local guardian with address, phone No. email (if any) to be contacted in emergency) ....

12. शैक्षणिक योग्यताऐं– (Educational Qualification)

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष Year of Passing	बोर्ड/विश्वविद्यालय Board/ University	विद्यालय/महाविद्यालय School/ College	कुल प्राप्तांक का प्रतिशत % of Aggregate Mark	विषय Subject
हाईस्कूल अथवा समतुल्य High School or Equivalent					
हायर सेकेण्डरी अथवा समतुल्य 10+2 or Equivalent					
बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी./अथवा समतुल्य B.A./B.Com./B.Sc. or Equivalent					
एम.ए./एम.कॉम./एम.एस.सी./अथवा समतुल्य M.A. /M.Com./M.Sc. or Equivalent					
अन्य Other					

13. यदि पिछले वर्षों में आवेदक का अध्ययन क्रय जारी न रहा हो तो कारण एवं उल्लेख कर शपथ–पत्र संलग्न करें ....

If there is a gap in the past years of study attach affidavit stating reason and period of gap ....

14. एन.सी.सी./एन.एस.एस./खेलकूद/अन्य किसी भी गतिविधियों में भाग लिया हो तो उपलब्धियों का ब्यौरा देवें। ....

Mention the achievements in the activities like N.C.C./N.S.S./Sports/Others ....

15. क्या आवेदक सेवारत् है ? यदि है तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। ....

If the Candidate is employed, attach no objection certificate of the employer., ...

16. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हैं? हाँ तो किस स्थान की ....

State if the Candidate is bonafide of C.G. Mention the place. ....

17. संलग्न पत्रों की सूची– (सभी संलग्न प्रपत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो)

(All the encloures are to be attested by the gazetted officer)

1. पिछली परीक्षाओं की अंक सूचियाँ / Marksheets ofLast Exam.
2. जन्म तारीख का प्रमाण–पत्र/दसवी की अंक सूची / Date of Birth Certificate /Marksheet of Class 10th
3. जाति/वर्ग निवास प्रमाण–पत्र Caste/Category Certificate
4. स्थानांतरण प्रमाण–पत्र / T.C. & Character certificate
5. शपथ पत्र /Affidavit (if necessary)
6. प्रवजन प्रमाण –पत्र / Migration Certificate

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैंने महाविद्यालय के नियमों, व्यवस्थाओं व आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा प्रतिज्ञा करता/करती हूं कि मैं अध्ययनरत् रहकर अपने कर्त्तव्यों तथा महाविद्यालय के नियमों एवं व्यवस्थाओं का पालन करता रहूंगा/करती रहूँगी। प्रत्येक विषय में 75% की उपस्थिति को पूर्ण करूंगा/करूंगी। यदि उपस्थिति पूर्ण नहीं करता/करती हूं तो मुझे परीक्षा से वंचित किया जाता है, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी। महाविद्यालय में अथवा बाहर एवं परीक्षाओं में किसी भी अव्यवस्था या अनुशासनहीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूँगा/लेंगी। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है और न ही असत्य जानकारी दी है। उपरोक्त प्रतिज्ञा के उल्लंघन करने की स्थिति में प्राचार्य को पूर्ण अधिकार होगा कि वे मुझे दंडित कर सकते हैं तथा निष्कासित भी कर सकते हैं जिसकी पूर्व सूचना मुझे या मेरे पालक को देना आवश्यक नहीं है। मुझे ज्ञात है कि यदि मैं महाविद्यालय में रेगिंग में लिप्त पाया/पायी गयी तो मुझे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम ————————————————)

पिता/अभिभावक का घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य द्वारा इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मैं महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल में उसे आचरण, कार्यो, उपस्थिति तथा दैनन्दिनी प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूँगा । प्रत्येक विषय में 75% उपस्थिति नहीं होने पर मेरे पाल्य को परीक्षा से वंचित कर दी जावे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी । उसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुये महाविद्यालय को पूर्ण सहयोग देता रहूँगा और महाविद्यालय को देय समस्त शुल्क की राशि के भुगतान का उत्तरदायित्व का वहन करूँगा। यदि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य के विरूद्ध रेगिंग की शिकायत प्राप्त हुई तो उसे महाविद्यालय से निष्कासित किया जाए, इसमें मेरी पूर्ण सहमति होगी।

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

दिनांक .... (नाम ------------------)

कार्यालयीन उपयोग हेतु

For Office use only

प्रवेश समिति की अनुशंसा /टिप्पणी

Recommondation Comment of Admission Committee.

श्री/कु./श्रीमती.. को कक्षा .... के विषय/विषयों.. में प्रवेश की अनुशंसा निम्न शर्तो के अंतर्गत की जाती हैं।

1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________

दिनांक ....

हस्ताक्षर
संयोजक प्रवेश समिति

प्राचार्य का आदेश

श्री/कु./श्रीमती .... को ऊपर दर्शाए गए कक्षा में निहित शर्तो के अंतर्गत प्रवेश दिया जावे।

प्राचार्य

दिनांक ....

शुल्क शाखा

प्रवेश क्रमांक .... दिनांक ....

रसीद क्रमांक .... दिनांक .... के द्वारा

रूपये .... (शब्दों में रूपये) ....

प्राप्त किया।

शुल्क लिपिक के हस्ताक्षर

शासकीय वेदराम महाविद्यालय, मालखरौदा (छ.ग.)

राष्ट्रीय सेवा योजना

मालखरौदा, जिलाः जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

प्रवेश वर्ष 20 — 20

पासपोर्ट साईज फोटो

बी–1/बी–2/सी/सही कोर्स टिक करें

रक्त समूह..............................

1. विद्यार्थी का नाम ....
2. अ. पिता का नाम ....
   ब. माता का नाम ....
3. पिता का व्यवसाय ....
4. वर्ग सामान्य/अनु.जाति/जनजाति/ पिछड़ा वर्ग ....
5. जन्मतिथि .... उम्र ....
6. कक्षा .... वर्ग.............. प्रवेश क्रमांक ....
7. स्थानीय पता ....
8. स्थाई पता ....
9. रा.से.यो. में वर्ष ....
10. विविध क्षेत्रों में तथा विषयों में रूचि का संक्षिप्त परिचयः–

क्रमांक	विषय	पूर्णज्ञान	अपूर्णज्ञान	सीखने की तिथि
1.	खेलकूद (खेल का नाम)			
2.	पर्यटन			
3.	हस्तकला			
4.	संगीत गायन/वाद्य			
5.	नाटयकला			
6.	नृत्यकला			
7.	कविता, कहानी, आदि			
8.	पाक विद्या			
9.	प्राथमिक चिकित्सा			
10.	वाद–विवाद			
11.	अन्य			

मैं प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि समय–समय पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा बनाये गये रा.से.यो. संबंधी नियमों का पालन करूँगा/करूंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

(कार्यालयीन उपयोग के लिए)

रजिस्ट्रेशन कमांक ....

1. प्रवेश की तिथि ....
2. निरस्त करने के कारण ....

कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर

प्राचार्य

शासकीय वेदराम महाविद्यालय मालखरौदा, जिलाः जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

(शारीरिक शिक्षा विभाग)

महाविद्यालय में खिलाड़ी के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र

सत्र : 20 – 20

1. छात्र/छात्रा का नाम : ------------------------------------
2. पिता का नाम : ------------------------------------
3. माता का नाम : ------------------------------------
4. जाति वर्ग : अनु.जाति/जनजाति/अ.पि.वर्ग/सामान्य
5. जन्मतिथि : ------------------------------------
(कक्षा 10 वीं की अंकसूची की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
6. दिनांक 01.07.20...... को आयु .... वर्ष .... माह.................... दिन ....
7. वर्तमान पता : ------------------------------------

पिनकोड ------------------ दूरभाष ------------------
8. स्थायी पता : ------------------------------------
पिनकोड ------------------ दूरभाष ------------------
9. शैक्षणिक रिकार्ड :

क्र.	अध्ययनरत् संस्था का नाम	10+2 परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	स्नातक	उत्तीर्ण वर्ष	वर्तमान कक्षा	वि.वि. /बोर्ड का पंजी. क्र.व नामांकन	गत वर्ष की परीक्षा का नाम व अनुक्रमांक	खेल में जिला/संभाग/ वि.वि./राज्य के प्रतिनिधित्व

10. समस्त शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापित प्रति संलग्न करें।
11. सत्र 20...... – 20........ का प्रवेश शुल्क रसीद क्रमांक .... दिनांक ....
(शुल्क रसीद की छायाप्रति संलग्न करें)
12. यदि स्कूल स्तर में किसी खेल में जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय सहभागिता हो तो प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
13. ब्लड ग्रुप : ------------------------------------
14. क्या आपको प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी है? हाँ/नहीं
15. क्या आपके पास ट्रेकसूट/स्पोर्ट्स कीट्स/ स्पोर्ट्स शू है? हाँ/नहीं
16. आप अपने मुख्य खेल के साथ और कौन–कौन से खेल जानते हैं। जानकारी देवें– 1.......................... 2 .... 3.......................... 4. ....
17. क्या आपको अपने खेल के मैदान के मापन संबंधी जानकारी हैं ?हाँ/नहीं
18. स्कूल स्तर में स्काउट्स गाईड/एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भाग लिये हो तो प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

खिलाड़ी छात्र/छात्रा की घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि कंडिका 01 से 18 तक की संपूर्ण जानकारी सत्य हैं, यदि कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। साथ ही महाविद्यालयीन खेलकूद के दौरान किसी भी प्रकार की शारीरिक चोट या कोई दुर्घटना हो जाती है, इसके लिये भी मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक ____________

हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का नाम ....

कक्षा .... संकाय ....

सांस्कृतिक

गतिविधियाँ

मूल्य 60 रूपये

मुद्रक : विप्र सहकारी मुद्रणालय मर्यादित, बिलासपुर (छ.ग.) मो. 9300325167, 9300611206